उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. 487498 [illegible]\O.A-No-420/22/23 Date : 18/01/23

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub.: **Regarding submission of the status report in the matter of O.A. No. 420/2022 Surendra kumar Vs State of U.P. & Ors dated 10-10-2022.**

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal during hearing on 10-10-2022 in the matter of O.A. No. 420/2022 Surendra kumar Vs State of U.P. & Ors, the reply/response of UPPCB is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Yours Sincerely,

[signature]
18/1/23

Encl: As Above

(Abhishek Tripathi)
Incharge, Circle-7

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone:2720831,2720828,2720691,2720681

गोमतीनगर, लखनऊ-226010 टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
दूरभाष-2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522-2720764 Fax: 0522 – 2720764 ई-मेल- info@uppcb.com

Reply/Response of UPPCB in compliance of direction issued by Hon'ble NGT order dated 10.10.2022 in the matter of Surendra kumar Vs State of U.P. & Ors in O.A. No. 420/2022.

Hon'ble NGT, New Delhi has passed order dated 10.10.2022 in the matter of Surendra kumar Vs State of U.P. & Ors in O.A. No. 420/2022 and relevant paras of the order dated 10.10.2022 are reproduced below –

"4. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) State PCB, (3) Executive Officer, Municipal Corporation, Sambhal, (4) Chief Medical Officer, Sambhal, (5) District Magistrate, Sambhal and (6) the Project Proponent- M/s Guru Sweets, who stand impleaded as respondents No. 1 to 6 The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. Notice be served on Project Proponent-M/s Guru Sweets through the District Magistrate, Sambhal and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Sambhal by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.

6. Mr. Pradeep Mishra, Advocate accepts notice on behalf of the State PCB and seeks time to file reply/response on behalf of State PCB. Reply/response on behalf of State PCB be file within two months as directed above.

7. List the matter for further consideration on 23.01.2023."

➢ **In compliance of direction issued by Hon'ble NGT on 10.10.2022 reply/ response on behalf of UPPCB is as follows-**

1- UPPCB has issued show cause notice vide letter no. H 80626/C-76/शिका0-44/का0ब0नो0/22 dated 02.09.2022 under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. Copy is annexed as **Annexure- 1.**

2- The unit has submitted reply of above show cause notice on 30.11.2022. Considering the reply of the unit, officials of RO, UPPCB, Moradabad carried out inspection on 01.12.2022.

3- During inspection dated 01-12-2022, it was found that the unit has dismantled the wood fired furnaces and removed them from the unit. The unit has installed 02 gas fired furnaces in which LPG is to be used as a fuel.

4- During inspection dated 01-12-2022, the unit has submitted Form-V issued by Nagar Palika Parishad, Sambhal for the year 2022-23 in which the land use is registered as a commercial land.

5- The unit vide letter dated 19-12-2022 submitted Notarized Affidavit related to closure of the operation of the unit and also submitted that in future prior permission from the concerning departments shall be obtained before the operation of the plant. Copy of Notarized Affidavit dated 19-12-2022 is annexed as **Annexure- 2.**

6- Considering the above Affidavit of the unit, officials of RO, UPPCB, Moradabad inspected the unit on 19-12-2022 in which the operation of the unit was found closed. Inspection Report dated 19-12-2022 and Photographs taken during inspection is annexed as **Annexure – 3.**

7- The unit vide its earlier letter dated 25-10-2022 submitted that the operation of the sweet production is done only 5 to 6 days per month. Copy of letter dated 25-10-2022 is annexed as **Annexure- 4.**

8- Considering the fact that the unit is a micro level unit, Green category unit and also considering the fact that the unit is operated with an average of 6 days per month, Environmental Compensation from the first inspection on dated 25-10-2022 to latest inspection dated 19-12-2022 for total 35 defaulter days is calculated as below :

EC : PI X N X R X S X LF

PI : 30 (Green category)

N : 35 (Defaulter Days)

R : 250

S : 0.5 (Micro)

LF : 1.0

Therefore,

EC = 30 X 35 X 250 X 0.5 X 1.0

EC = 3750 X 35

EC = 5000 X 35 (In any case EC shall be minimum Rs. 5000/-)

EC = 1,75,000/- (Rs. One Lakh Seventy Five Thousand only)

9- Considering above facts, Notarized Affidavit submitted by the unit related to Closure of the plant, inspection dated 19-12-2022 carried out by officials of RO, UPPCB, Moradabad, UPPCB vide letter dated 17-01-2023 imposed Environmental Compensation of Rs. 1,75,000/- (Rs. One Lakh Seventy Five Thousand only) against the unit with direction that the operation of the plant shall remain closed. Copy of Notice dated 17-01-2023 is annexed as **Annexure-5.**

18/1/23

(G.C Arya)
Environment Engineer, Circle-7
UPPCB

18/1/23

(Abhishek Tripathi)
Incharge, Circle-7
UPPCB

Annexure No. 1

1180626 /सी-7/विधि-/44/का-प्र-जो-/22 2-9-22

सेवा में,

मै0 गुरू स्वीट्स,
एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे,
चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल।

यह कि मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल द्वारा चीनी–50 कि0ग्रा0/दिन, मेवा–10 कि0ग्रा0/दिन, दूध–120 कि0ग्रा0/दिन आदि का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की मिठाईयॉ लगभग 60 कि0ग्रा0/दिन का उत्पादन किया जाता है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–420/2022, सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27.07.2022 को किया गया। इकाई मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र में वर्ष 2021 से संचालित है। इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में चीनी–50 कि0ग्रा0/दिन, मेवा–10 कि0ग्रा0/दिन, दूध–120 कि0ग्रा0/दिन आदि का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की मिठाईयॉ लगभग 60 कि0ग्रा0/दिन का उत्पादन किया जाता है। इकाई में जलापूर्ति नगर पालिका परिषद की सप्लाई एवं स्वयं के स्थापित 1.5 एच0पी0 क्षमता के नलकूप से की जाती है। जल आपूर्ति की मात्रा को मापने हेतु इकाई द्वारा कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है। इकाई द्वारा जल की खपत कड़ाहे/ट्रे आदि यूटेन्सिल्स की धुलाई एवं घरेलू प्रयोजनों में की जाती है। धुलाई प्रक्रिया से लगभग 500 ली0/दिन उत्प्रवाह जनित होता है, को शुद्धिकृत किये जाने हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है एवं उत्प्रवाह को सीधे नगर पालिका के ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। इकाई में वायु प्रदूषण के दृष्टिगत 02 गैस फार्यड एवं 02 वुड फार्यड भट्ठियॉ स्थापित पायी गयी। वुड फायर्ड भट्ठियों पर ईंधन प्रयोग से जनित गैसीय उत्सर्जन हेतु संयुक्त रूप से भू-तल से लगभग 30 फीट ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। इकाई द्वारा स्थापना एवं संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र/सहमति पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि क्यों न मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाए कि मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल को मिलने वाले जल एवं बिजली की समस्त सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएं।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन में प्रस्तुत करें। संतोषजनक उत्तर निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई का होगा।

(जी0सी0 आर्या)
पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–7

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, सम्भल को सादर सूचनार्थ।
2 अधिशासी अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, तहसील–सदर, जिला–सम्भल को सूचनार्थ।
3 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–7

06

Annexure No. 2

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

₹100

Certificate No.	:	IN-UP82929741477085U
Certificate Issued Date	:	19-Dec-2022 12:58 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14257904/ SAMBHAL SADAR/ UP-SMB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1425790459247836228979U
Purchased by	:	RAJNIKANT SO CHOTEY LAL
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAJNIKANT SO CHOTEY LAL
Second Party	:	RAJNIKANT SO CHOTEY LAL
Stamp Duty Paid By	:	RAJNIKANT SO CHOTEY LAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

NOTARIAL FIVE RUPEES

NOTARIAL FIVE RUPEES

NAVNEET KUMAR JAIN
New Compound Sambhal
LN 19
UP 14257904

शपथ पत्र

IN-UP82929741477085U

Please write or type below this line

समक्ष
श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुरादाबाद।

मैं, निशीकान्त तिवारी पुत्र स्व0 छोटे लाल निवासी मौ0 हेर, आर्य समाज पार्टनर इकाई मैसर्स गुरु स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद सम्भल निम्नानुसार शपथ लेता हूँ कि–

1. यह कि इकाई एक अत्यंत सूक्ष्म श्रेणी की मिठाई बनाने की इकाई है, जिसमें लगभग 60 किग्रा0/दिन मिठाई का उत्पादन किया जाता था।
2. यह कि इकाई नगर पालिका परिषद, सम्भल में स्थित है एवं नगर पालिका परिषद द्वारा अभिलेखों में व्यवसायिक दर्ज है।
3. यह कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के द्वारा जल अधिनियम, 1974 की धारा 33–ए के अर्न्तगत जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में इकाई का संचालन वर्तमान में पूर्ण रुप से बन्द कर दिया गया है। यदि भविष्य में इकाई को संचालित किया गया तो सम्बधित विभाग से आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त की जायेगी।

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपरोक्त कथन सत्य हैं एवं इसमें किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नही गया है।

निशिकान्त तिवारी

शपथकर्ता

Solemnly affirmed before me by Sri/Smt./Km. Nishikant Tiwari S/o Chhote Lal Tiwari R/o Mohalla Her Sambhal The deponent who is identified by Sri ... on 19.12.2022 at 4 PM. The contents of the affidavit have been read over and explained to the deponent ... and admits the contents of the above.

Madhav Mishra, Advocate, Notary Public SAMBHAL (U.P.) 19.12.2022

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

115/02
05-01-2023

S.P.

Annexure No. 3

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या 1583/N-13/420/2022/जनरल

दिनांक 20.12.2022

सेवा में,

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 02-1-23

प्रभारी/नोडल अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स गुरु स्वीटस्, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद सम्भल को जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 80626/सी–7/शिका./44/का.ब. नो./22 दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अर्न्तगत जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में इकाई द्वारा संचालन बन्द किये जाने की आशय का शपथ पत्र दिनांक 19.12.2022 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। तत्क्रम में इकाई का अद्यतन निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2022 को कराया गया एवं निरीक्षण में इकाई संचालित नही पायी गयी (निरीक्षण आख्या संलग्न)।

अतः उपरोक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय के पत्रांक 1524/एन–13/420/2022/जनरल दिनांक 07.12.2022 के द्वारा प्रेषित आख्या के कम में इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.09.2022 को इस शर्त के साथ निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है कि भविष्य में इकाई का संचालन किये जाने की दशा में आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

EE
05/1/23

AEE CORS NEW 2022

गुरु स्वीटस्, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद सम्भल को ा कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने के संबंध में –

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 80626/सी–7/शिका./44/का.ब.नो./22 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अर्न्तगत जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में इकाई द्वारा संचालन बन्द किये जाने के आशय का शपथ पत्र दिनांक 19.12.2022 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। तत्क्रम में इकाई का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.12.2022 को श्री निशीकान्त तिवारी, पार्टनर की उपस्थिति में किया गया एवं निरीक्षण में इकाई संचालित नही पायी गयी। अग्रेतर कार्यालय के पत्रांक 1524/एन–13/420/2022/जनरल दिनांक 07.12.2022 के माध्यम से इकाई के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस के निक्षेपण के संबंध में आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। निरीक्षण के समय इकाई के लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

अतः उपरोक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय के पत्र दिनांक 07.12.2022 के द्वारा प्रेषित आख्या को संज्ञान में लेते हुए इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 02.09.2022 को इस शर्त के साथ निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है तथा यह भी उचित होगा कि भविष्य में इकाई का संचालन आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये के निर्देश बोर्ड मुख्यालय स्तर जारी किया जाना उचित होगा। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(एस.एस. चौहान)
सहा.वैज्ञा.अधि.

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

AEE CORS NEW 2022

Annexure No. 4

आवक नं०........
रीजियन नं०.... N-13/20/2022
फाइल नं०....
दिनांक.... 17/12/22

समक्ष - उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्र बोर्ड

दिल्ली रोड, बुधिविहार मोरादाबाद ।

संधर्भ संख्या - 11806/ C-7/44 का० ब० नो० /22 दिनाक - 02-09-2022

विषय -तहसील, जिला संभल आर्य समाज रोड स्तिथ सर्व श्री गुरु स्वोट्स की इकाई बंद करने की सुचना ।

महोदया,

आपको सदर अवगत कराना हैं कि सर्व गुरु स्वीट्स की इकाई स्थित आर्य समाज रोड संभल का संचालन स्थाई रूप से बंद कर दिया गया हैं ।

17/12/22

कृपया सुचना ग्रहण कर आवशयक कार्यवाही करे तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने की क्रपा करे ।

प्रार्थी

रजनीकांत

रजनीकांत तिवारी

मोहल्ला ठेर संभल

H87426 /सी-7/शिका0-44/23 17/01/23

Annexure No. 5

सेवा में,

मै0 गुरू स्वीट्स,
एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे,
चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल।

विषयः–इकाई के विरूद्ध बोर्ड के पत्र सं0–एच80626/सी–7/शिका0/44/का.ब.नो./22 दिनांक 02.09.2022 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को रू0 1,75,000/–की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र सं0–एच80626/सी–7/शिका0/44/का.ब.नो./22 दिनांक 02.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आपके प्रत्यावेदन दिनांक 19.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि इकाई में उत्पादन कार्य पूर्णतया बन्द कर दिया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के निरीक्षण दिनांक 19.12.2022 में इकाई में उत्पादन कार्य हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी स्थापित नहीं पाये गये। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 13.01.2023 एवं 16.01.2023 तथा इकाई माइको स्तर की इकाई होने के दृष्टिगत इकाई पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार इकाई के प्रथम निरीक्षण दिनांक 25.10.2022 से दिनांक 19.12.2022 तक इकाई के संचालन दिवस 35 दिन को संज्ञान में रखते हुए निम्न रूपेण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित की जाती है:–

EC = PI x N x Rx Sx LF

PI = 30 (Green Category)
N = 35 (Defaulter Days)
R = 250
S = 0.5 (Micro)
LF = 1.0

अतः EC = 30x35x250x0.5x1.0
EC = 3750x35
EC = 5000 x 35 (In any case EC shall be minimum Rs. 5000/-)
EC = 1,75,000/-

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए इकाई के विरूद्ध रू0 1,75,000/-(रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बोर्ड के पत्र सं0–एच80626/सी–7/शिका0/44/का.ब.नो./22 दिनांक 02.09.2022 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस कारण बताओ नोटिस के कम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि इकाई मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 **1,75,000/-**(रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा किया जाए।

2. यह कि इकाई मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल द्वारा उक्त संदर्भित स्थल पर उत्पादन कार्य यथावत् बन्द रखा जाएगा।

उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय इकाई का होगा।

भवदीय

अभिषेक त्रिपाठी
17/1/23

(अभिषेक त्रिपाठी)
प्रभारी, वृत्त–7

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ की उक्त निर्देशों के क्रम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिशिचित करे।

अभिषेक त्रिपाठी
17/1/23

प्रभारी, वृत्त–7

O/C